प्रेस नोट दिनाँक 26.04.2021

(1). आज दिनाँक-26.04.2021 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक द्वारा कोतवाली कर्वी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निम्नलिखित निर्देश दिये-

(i). कोविड हेल्प डेस्क में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर को चेककर नियुक्त महिला पुलिसकर्मी को थाना परिसर में आने वाले सभी लोगों का तापमान नापकर नाम व मोबाइल नम्बर रजिस्टर में दर्ज करने तथा सेनेटाइजर का प्रयोग करने हेतु निर्देश दिये ।

(ii). पुलिस कर्मियों हेतु भाप लेने के लिए की गयी व्यवस्था का निरीक्षण कर निर्देश दिये कि समस्त पुलिसकर्मी दिन में 02 बार भाप अवश्य लें तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डाक्टरी सलाह लें।

(iii). कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत कोतवाली परिसर में बनायी गयी क्वारंटाइन बैरक का निरीक्षण कर, कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन बैरक में रखने हेतु निर्देश दिये ।

(iv). थाना कार्यालय की खिड़कियों को खोलकर रखने तथा थाना परिसर में साफ-सफाई रखने हेतु निर्देश दिये ।

निरीक्षण के दौरान श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, श्री दिनेश सिंह पीआरओ0 एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा खोह तिराहा के पास से अभियुक्त रामबाबू कुशवाहा पुत्र पराग निवासी मु0 रूलर मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 500 ग्राम सूखा गांजा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

500 ग्राम सूखा गांजा नाजायाज

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी विपिन सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

(i). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) राजा सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी देवारी थाना राजापुर (2) सब्बीर अहमद पुत्र फजल अहमद निवासी बेहनन पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

(ii). श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) अनिल पटेल उर्फ प्रदीप पटेल पुत्र काशीप्रसाद पटेल निवासी देहरूच थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

(4). कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनाँक-26.04.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा फायरबिग्रेड के

माध्यन से 1. ग्राम ऐचवारा 2. ऐंचवारा अस्पताल में आवास एवं कार्यालय में 3.भौरी अस्पताल, कार्यालय एवं आवासीय परिसर में 4. सीतापुर कस्बा व बाजार में सेनेटाइज किया।

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 26.04.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन बरगढ़, ग्राम कोलमजरा व सिंगलपुरवा में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा बस स्टैण्ड, ट्रापिक चौराहा एवं कर्वी शहर में भ्रमण कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाली महिलाओं/बालिकाओं से बाहर निकलने का कारण पूछते हुए शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। मिशन शक्ति के तहत महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।

(6). पुलिस अदीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर 02 पक्षों में हुए विवाद को लेकर 05 अभियुक्तों के विरूद्ध 151/107/116 crpc की कार्यवाही कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उल्लेखनीय हैं कि आज दिनाँक-26.04.2021 को उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह मय हमराही के ग्राम साईपुर में भ्रमणशील थे कि साईपुर तिराहे के पास प्रथम पक्ष के कमलेश कुमार यादव एवं उसेक साथी तथा द्वितीय पक्ष के प्रमोद कुमार आदि के मध्य चुनाव को लेकर लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच कर रहे थे। पूर्व में दिनाँक-24.04.2021 को भी दोनों पक्षों के मध्य चुनाव को लेकर एक-दूसरे को देख लेने की धमकी व गाली गलैच किया गया था, इस सम्बन्ध में थाना पर कोई सूचना नही दी गयी थी। पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाया बुझाया गया परन्तु कोई मानने को तैयार नही थे दोनों पक्षों में कसीदगी एं तनाव व्याप्त है जो भविष्य में शांति भंग का प्रबल कारण बन सकता है। प्रथम पक्ष के कमलेश यादव पुत्र रामसहाय यादव निवासी साईपुर (2) राजू पुत्र टिर्रा निवासी नहरा थाना पहाड़ी व द्वितीय पक्ष के प्रमोद कुमार यादव (2) देवेन्द्र कुमार यादव (3) विनोद यादव पुत्रगण स्व0 चन्द्रभवन यादव निवासीगण साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।